

राजस्थान सरकार  
कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज  
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक: प.16(19)आरपीजी / लोसेगाअधि / 2022

जयपुर, दिनांक:- 27 .04.2022

—:संशोधित आदेश:—

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.03.2022 के अधिक्रमण में बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दु संख्या 118 की क्रियान्विति के क्रम में 'Rajasthan Guaranteed Services Delivery and Accountability Act' लाए जाने हेतु ड्रॉफ्ट बिल तैयार करने हेतु निम्नलिखित समिति तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है:-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. निदेशक, पब्लिक सर्विसेज                            | - अध्यक्ष |
| 2. उप शासन सचिव (प्रथम), विधि विभाग                   | - सदस्य   |
| 3. उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग              | - सदस्य   |
| 4. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सम्पर्क (सीएम हेल्पलाईन) | - सदस्य   |
| 5. संयुक्त निदेशक, पब्लिक सर्विसेज                    | - सदस्य   |
| 6. श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, जन आधार       | - सदस्य   |
| 7. उप निदेशक (एसीपी), जन अभियोग निराकरण विभाग         | - सदस्य   |
| 8. सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज                      | - सदस्य   |

(आलोक गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. निजी सहायक, निदेशक, पब्लिक सर्विसेज
3. उप शासन सचिव (प्रथम), विधि विभाग
4. उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग
5. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान सम्पर्क (सीएम हेल्पलाईन)
6. संयुक्त निदेशक, पब्लिक सर्विसेज
7. श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, जन आधार
8. उप निदेशक (एसीपी), जन अभियोग निराकरण विभाग
9. सहायक निदेशक, पब्लिक सर्विसेज

निदेशक, पब्लिक सर्विसेज एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव,  
जन अभियोग निराकरण विभाग